RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES℠

इन्वेस्टमेंट एवेन्यूस

Rs. 30/- Year-6 I Volume-11 I February 2019

- Highlights of Income Tax slab 2018-19
- Last ITR filing of deceased is important
- HRA and Tax Benefit
- Save tax on savings, donation & investments
- How to choose the best tax saving investment

- GST Problems for Small Business/Profession
- No GST on sale of properties with completion certificate

Legal Transfer of Ancestral Property

last budget of Modi Govt.

Vision at a Glance

This Republic Day, Vision Advisory, VASPL Incubation and SEWA came together to celebrate and cherish achievements of SEWA at Bhopal.

MD. Pradeep Karambelkar discussed RJ Teena with "Budget 2019" in "94.3 MY FM"

Mr. Prathit Bhobe, CEO and Managing Director, Tata Asset Management Ltd., Tata Group graced us with his benign presence at Vision Advisory services Pvt. Ltd.

RNI No. MPBIL/2013/49052

इन्वेस्टमेंट एवेन्यूस

वर्ष: 06 ❖ अंक : 11 ❖ फरवरी 2019

संपादक
प्रदीप करम्बेलकर

सह संपादक
अवनीश तिवारी

मार्केटिंग मैनेजर
पंकज जोशी, शिल्पा सुपेकर

सलाहकार
वसंत देशपाण्डे

मुद्रक
महक ग्राफिक्स एण्ड ऑफसेट

कवर डिजाइनिंग एण्ड लेआऊट डिजाइनिंग
मुकेश सिंह राजपूत

संपादकीय कार्यालय
प्लॉट न.-36, ई-सेकण्ड फ्लोर, राज होम्स के सामने, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल
फोन- +91 0755 - 4277186-2555217
website : www.visionadvisory.in
Email : editor@visionadvisory.in

प्रकाशक, मुद्रक
प्रदीप करम्बेलकर, सी-101, नेहरु नगर, द्वारा स्वत्वाधिकार विजन एडव्हायजरी सर्विसेस प्रा.लि. प्लॉट न.-36, ई-सेकण्ड फ्लोर, राज होम्स के सामने, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल से प्रकाशित एवं महक ग्राफिक्स एण्ड ऑफसेट, प्लॉट नं. 4 वैभव काम्पलेक्स, जोन-1, एमपी नगर, भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित

website :
www.investmentavenues.in
Editor : Pradeep Karambelkar

Contents

GST Problems for Small Business/Profession	-	06
No GST on sale of properties with completion....	-	09
How to choose the best tax saving investment	-	11
इनकम टैक्स स्लैब 2018-19 की खास बातें	-	12
टैक्स बचाने में माता-पिता 3 तरह से मदद कर सकते हैं	-	15
पैतृक संपत्ति को कानूनी तरीके से अपने नाम कराना जरूरी	-	17
ITR filing: मृतक व्यक्ति का अंतिम ITR जरूर दाखिल....	-	19
HRA पर कैसे हासिल करें टैक्स छूट	-	21
निवेश, दान या जमा पर मिलती है टैक्स छूट, जानें किन पर...	-	22
टैक्स में छूट के लिए इनवेस्टमेंट में न दिखाएं जल्दबाजी	-	24
5 लाख तक की सालाना आय वालों को नहीं देना होगा टैक्स	-	25
इनकम टैक्स से जुड़ी 5 बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए	-	27
अंतरिम बजट 2019: हर बजट में होता है इन शब्दों का जिक्र	-	28
टैक्स बचत के सर्वोत्तम रास्ते	-	30

Disclaimer:-
Important Note:
This Magzine offline/online content is not for USA/Canada Residents/Citizens and Investors. We do not sell/canvass/ promote any investment schemes to USA/Canada Residents/Citizens and Investors. Kindly ignore the message if you receive investment related mails from us. Mutual Funds investments are subject to market risk. Please read offer documents carefully before investing. Debt, Equity and Gold Mutual Fund schemes carry asset specific risks. Past performance may or may not sustain in future. This is not invitation to invest in any mutual fund scheme. Please treat this email as information and academic purpose. Investors are requested to refer their risk appetite before investing in specific funds.

संपादकीय

प्रिय मित्रों,

वर्तमान समय उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है। इसका कारण आने वाले लोकसभा चुनाव से लेकर वैश्विक स्तर में हो रही हलचल के साथ ही एक फरवरी को सरकार का अंतरिम बजट में की गई घोषणाओं को माना जा रहा है। कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी ने इस अवसर का इस्तेमाल बीते पांच वर्ष में अपनी सरकार के राजकोषीय नीति प्रबंधन का बहुत बढ़िया रिपोर्ट कार्ड पेश किया।

1 फरवरी, 2019 को पेश अंतरिम बजट में किसानों की आय में बढ़ोतरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन के प्रस्तावों को प्रमुखता मिली। भले ही यह शुरू की गई प्रत्यक्ष आय सहायता योजना हो या किसानों को पशुपालन तथा मत्स्यपालन पर ऋणों में ब्याज छूट या मनरेगा के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी, इन सभी पहलों से ग्रामीण संकट दूर करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेरे नजरिये से जिन चार क्षेत्रों पर काम करने की जरूरत है, उनमें ये शामिल हैं-

आयकर संबंधी घोषणा जिसमें 5 लाख तक की आय को इनकाम टैक्स से छूट प्रदान करना नौकरीपेशा और प्रफेशनल तबकों के लिए राहत बाली खबर है, इससे ज्यादा से ज्यादा बचत के चक्कर में कुछ अधिक ही हाथ खींचकर चल रहे इस वर्ग का हाथ खुलने से बाजार में कुछ खुशहाली भी दिखाई पड़ेगी।

वित्तीय वर्ष समाप्ती की ओर है। अतेव यह समय टैक्सेशन का भी है। सभी इनकम टैक्स पेयर अपने-अपने अनुसार टैक्स की गणना करने में लगे हुए हैं कि उन्हें कितना टैक्स जमा करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस बार का अंक टैक्सेशन पर प्रकाशित कर रहे हैं। जिसमें टैक्स बचत की जानकारी दी जा रही हैं। आशा करते हैं आपकों यह अंक पसंद आएगा।

धन्यवाद

Editor
Pradeep Karambelkar
pkarambelkar@gmail.com

MONTHLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anilstockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices. PP: Pivot Point: This is Trigger Point for buy/sell Based on the price range of the previous Month R1: Resistance one : 1st Resistance over pp. R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1.S1: Support one: 1st support after PP. S2: Support Two:2nd support afterr S1. 1)

1. As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and the first target would be R1.2)
2. If R1 is crossed then R2 becomes the Next target with the stop loss at R1. 3)
3. If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
4. Similrly if price goes below PP the trader should SELL and keep the PP as Stop loss and the first target would be S1.
5. If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1.
6. If S2 iscrossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	11420	11203	11017	10800	10614	10398	10211
BANK NIFTY	29198	28476	27885	27163	26572	25850	25260
ABB	1495	1427	1349	1281	1203	1135	1057
ACC	1692	1604	1514	1426	1335	1248	1158
AXISBANK	888	808	765	685	642	562	519
BANKINDIA	139	124	114	99	89	74	64
BANKBARODA	139	132	122	115	105	98	88
BHEL	84	80	72	68	60	56	48
CIPLA	573	548	533	508	493	468	453
DLF	233	210	188	165	143	120	98
EICHER	26425	24859	21932	20366	17440	15876	12947
HCLTECH	1168	1102	1053	987	938	872	823
HDFC	2148	2082	2002	1936	1856	1790	1710
HDFCBANK	2302	2235	2157	2090	2012	1945	1867
HEROMOTO	3553	3344	2979	2770	2405	2196	1831
HINDALCO	253	240	224	211	195	182	166
HINDUNILVR	1916	1870	1817	1771	1718	1672	1619
ICICIBANK	433	409	386	362	339	315	292
INFY	884	817	784	717	684	617	584
ITC	316	306	293	283	270	260	247
KOTAKBNK	1420	1364	1310	1254	1200	1144	1090
LT	1594	1519	1417	1342	1240	1165	1063
LUPIN	970	928	902	860	834	792	766
MAHINDRA	914	860	770	716	626	572	482
MARUTI	8552	8040	7341	6829	6130	5618	4919
NBCC	70	66	63	59	55	52	48
NTPC	161	155	148	142	135	129	122
ONGC	159	154	148	143	137	132	126
RCAPITAL	267	249	222	204	177	159	132
RELIANCE	1485	1375	1301	1191	1117	1007	933
RELIANCE INFRA	385	355	312	282	239	209	166
SBIN	341	325	309	293	277	261	245
SRF	2308	2223	2117	2032	1926	1841	1735
SUNPHARMA	550	504	463	417	376	330	289
TATAMOTORS	230	214	198	181	165	148	132
TATASTEEL	605	565	521	481	437	397	353
TCS	2298	2159	2087	1947	1875	1735	1662
VEDANTA	220	212	204	196	188	180	172
WIPRO	449	410	390	350	330	290	270

संक्षिप्त समाचार

इकॉनमी की रेस में चीन को पीछे छोड़ देगा भारत : रघुराम राजन

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से चीन से आगे निकल जाएगा. विश्व आर्थिक मंच में दक्षिण एशिया के लिए रणनीतिक परिदृश्य सत्र को संबोधित करते हुए राजन ने कहा कि चीन ने दक्षिण एशियाई देशों में बुनियादी ढांचे के सृजन का जो वादा किया है भारत इसका सृजन करने के मामले में उससे बेहतर स्थिति में होगा.

राजन ने कहा, 'ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र में भारत की बड़ी भूमिका रही है लेकिन भारत की तुलना में चीन काफी आगे निकल चुका है, उसने क्षेत्र में भारत के मुकाबले अपने को खड़ा किया है.' उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है जबकि चीन में वृद्धि दर धीमी पड़ रही है. राजन ने कहा, ''अंततः चीन से बड़ा बनेगा भारत क्योंकि चीन की रफ्तार धीमी पड़ेगी और भारत आगे बढ़ता जाएगा. ऐसे में क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का सृजन करने के लिए भारत अधिक बेहतर स्थिति में होगा, जिसका वादा चीन आज कर रहा है.''

अप्रैल नहीं जनवरी से शुरू हो सकता है वित्त वर्ष

देश में वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल के बजाय जनवरी से हो सकती है. सरकार इसकी तैयारी में लगी है. सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, इस बजट में सरकार इसकी घोषणा कर सकती है.

देश में वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल के बजाय जनवरी से हो सकती है. सरकार इसकी तैयारी में लगी है. सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, इस बजट में सरकार इसकी घोषणा कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो देश में 152 साल से चली आ रही अप्रैल-मार्च की वित्त वर्ष की परंपरा बदल जाएगी. ऐसे में केंद्र सरकार को बजट नवंबर में पेश करना होगा. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर वित्त वर्ष की तारीख में बदलाव होता है तो इससे आम आदमी की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, सिर्फ टैक्स प्लानिंग, टैक्स फाइलिंग, कंपनियों के तिमाही नतीजों और शेयर बाजार के लिए वेस्टर्न स्टॉक मार्केट के जैसा पैटर्न और चलन दिखने की उम्मीद है.

क्या होता है वित्त वर्ष-

वित्त वर्ष वित्तीय मामलों में हिसाब के लिए आधार होता है. हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक चलने वाली इसकी 12 माह की अवधि वित्तीय वर्ष कही जाती है. पीएम मोदी ने वित्त वर्ष में बदलाव की वकालत करते हुए कहा था कि एक तेजतर्रार व्यवस्था विकसित किए जाने की जरूरत है, जो विविधता के बीच काम कर सके. उन्होंने कहा था, समय के खराब प्रबंधन की वजह से कई अच्छी पहल और योजनाएं वांछित नतीजे देने में विफल रहती हैं. वित्त वर्ष को जनवरी-दिसंबर करने की घोषणा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है.

जीडीपी की रेस में बिहार सबसे आगे, गुजरात-आंध्र जैसे राज्य रह गए पीछे

2019 लोकसभा चुनाव के पहले बिहार को बड़ा बोनस मिला है. बिहार को लेकर एक नया आंकड़ा सामने आया है. जिसके बाद फिर से एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है. अब बीमारू राज्य की श्रेणी से निकल कर बिहार नम्बर वन बना है. दरअसल एक नए सर्वे ने बिहार को विकास की रफ्तार में एक नम्बर के पायदान पर जगह दी है. इस नए रिपोर्ट कार्ड के आते ही बिहार में एक नई बहस शुरू हो गई है.

दूसरे राज्य भी छूटे पीछे

जीडीपी की रेस में जब बिहार ने दौड़ लगाई तो आंध्रप्रदेश और गुजरात जैसे राज्य भी पीछे छूट गए हैं. 2017 -18 के GDP के नए आंकड़े में बिहार 11.3 प्रतिशत की विकास दर से सबसे आगे निकला है. कर्नाटक, बंगाल और गुजरात जैसे राज्य बिहार से पिछड़ गए हैं. झारखंड, पंजाब, केरल जैसे राज्य सबसे निचले पायदान पर हैं. जिस एजेंसी ने ये रिपोर्ट तैयार की है, उन्होंने 17 उन राज्यों को चुना जिन्हें विशेष दर्जा नहीं है. बताते चलें सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस डेटा के अलग अलग पैरामीटर पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया है.

रिपोर्ट का आंकलन करने में जुटें अर्थशास्त्री

अर्थशास्त्री इस रिपोर्ट का आंकलन करने में जुटे हैं. बिहार सबसे आगे, इस बात की खुशी तो है मगर मानक को लेकर इनकी चिंता है. मानव विकास के मानकों पर भी बिहार आगे है या नहीं. आधारभूत संरचना तो ठीक मगर क्या शिक्षा और स्वास्थ्य को भी इन मानकों के पैमानों में जगह मिली है. जानकर विकास के आंकड़ों को सही मांन रहे मगर सवाल बिहार के दूसरे विकास के पैमानों पर भी है।

curtsey: https://www.prabhatkhabar.com https://navbharattimes.indiatimes.com

अपडेट

सबसे तेज गति से विकास करता रहेगा भारत

2019-20 में 7.6% होगी रफ्तार : संयुक्त राष्ट्र

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा है कि भारत अगले दो साल में तेज गति से आगे बढ़ेगा और चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती का अनुमान लगाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 और 2020 में तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी और इसकी गति चीन ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। संयुक्त राष्ट्र की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2018-19 में 7.4 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष 2019-20 में 7.6 प्रतिशत रहेगी।

सुधारों का मिल रहा लाभ

संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2019 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि को मजबूत निजी उपभोग, अधिक विस्तार वाले वित्तीय रुख और पिछले सुधारों के लाभ से सहारा मिल रहा है। इसमें कहा गया है कि मध्यम अवधि की वृद्धि दर के लिए निजी निवेश में सतत सुधार महत्वपूर्ण है।

कम होगी चीन की रफ्तार

चीन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यहां 2018 में विकास दर 6.6 फीसदी और 2019 में और अधिक गिरावट के साथ 6.3 फीसदी रहने का अनुमान है। इसके लिए ट्रेड वॉर को भी जिम्मेदार बताया गया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 और 2020 में इसकी वृद्धि दर 3 प्रतिशत के करीब रहेगी।

संयुक्तराष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरस ने आगाह करते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक संकेतक काफी हद तक अनुकूल हैं, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं बताते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2019 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के टिकाऊ होने पर चिंता जताई गई है।

IMF का अनुमान

इससे पहले IMF ने भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019 में 7.5 प्रतिशत और 2020 में 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। IMF ने कहा कि इन दो साल के दौरान चीन की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर एक फीसदी अधिक रहेगी। 2019 और 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

नव नियुक्त सीबीआई प्रमुख ऋषि कुमार शुक्ला से इन्वेस्टमेंट एवेन्यू को पूर्व में साक्षात्कार करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था।

Investment Avenues September-2016

मध्यप्रदेश में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुलिस बल किस प्रकार अपनी भूमिका निर्वाह कर रहा है इस संदर्भ में पुलिस महानिरीक्षक ऋषि कुमार शुक्ला जी से अवनीश तिवारी और राजीव परसाई की विशेष बातचीत

एमपी में निवेशक आता है तो उसे फीलिंग सिक्योरिटी रहेगी : डीजीपी

प्रदेश में बिहार और उत्तरप्रदेश की अपेक्षा कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है लेकिन निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उसमें मध्यप्रदेश पुलिस क्या योगदान है ?

इन्डस्ट्री वहा ज्यादा आती जहा इन्वायर्मेंट अच्छा होता है यदि मध्यप्रदेश में निवेशक आता है तो उसे फीलिंग सिक्रुरिटी रहेगी। हमारे यहा कोई बड़ी कनूनी अव्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक हमारी पुलिस प्रदेश में कानून व्यवस्था सुद्रण करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

ताकि प्रदेश में अच्छा महौल बन सके और निवेशक यहा अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित हो सकें। इसके लिए 6 हजार से अधिक पुलिस बल की भर्ती की जाएगी। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं जिससे मध्यप्रदेश में उद्योग के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था को लेकर बाधा उत्पन्न न हो। हम मध्यप्रदेश में क्राइम को कन्ट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि यहा की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके।

इन्डस्टियल एरिया में पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है इसके लिए पुलिस विभाग क्या कर रहा है ?

निश्चित रूप सभी इन्डस्टियल क्षेत्रों में पुलिस चौकियों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों में पुलिस की पहुच बढ़े ताकि निवेशकों को इन्डस्टियल क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जा सके। इससे निवेशकों में भी अच्छा माहौल बनेगा और वह अधिक से अधिक संख्या में निवेश करेंगे।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुलिस किस प्रकार सहायक है ?

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा पूरे देश में पर्यटन पुलिस की एक जैसी यूनिफार्म की व्यवस्था की जा रही है जिसमें पूरे भारत वर्ष में एक सी ही पुलिस दिखाई देगी। चाहे फिर वह आगरा में हो या फिर सांची या खजुराहो हो सभी जगहों पर एक समान पुलिस बल दिखाई देगा जिससे पर्यटकों को किसी समस्या के हल के लिए अलग-अलग प्रदेश में भिन्न पुलिस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

पर्यटकों को भाषा संबंधी दिक्कतों का समाना करना पड़ता है जिसके कारण पर्यटक अपनी बात पुलिस को समझा नहीं पाती है?

भाषा संबंधी समस्या को दूर करने के लिए पर्यटक पुलिस को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि पर्यटक अपनी सुरक्षा संबंधी समस्या को पुलिस को बता सके और उनकी परेशानी दूर हो सके। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है जब पर्यटक और पुलिस के बीच भाषा संबंधी दिक्तों के कारण छोटी परेशानी एक बड़ी समस्या का रूप ले लेती है जबकि अगर उनके बीच सही कम्यूनिकेशन होता है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आता है और देशी विदेशी पर्यटक हमारी व्यवस्थाओं से प्रभावित हो कर जाता है।

22

Happy

courtesy : https://navbharattimes.indiatimes.com, https://zeenews.india.com

GST Problems for Small Business/Profession

Amarish Tiwari
C.A.
amarishtiwari77@gmail.com

July 1st, 2017 onwards Our country had taken a step forward in it's Taxation History . However, after more than 18 months and after multiple policy updates, it seems that not everything has gone as planned. This was, however, a possibility and the Government was prepared to incur short-term losses in exchange for large future gains. GST in India not only boasts of one of the highest tax rates but also consists of the largest number of tax slabs. Add to this the growing compliance burdens, technical as well as compliance issues.

India has the higher standard GST rate.. The non-zero rated products (5, 12, 18 and 28 percent) combined with the remaining zero-rated products are a sharp deviation from the one Nation one GST Tax dream. Petroleum products are still outside the GST ambit.. In this article, we try to throw light on the issues that currently plague the newly levied GST taxation system in India as well as the taxpayer's grievances.

Technical GST problems

Goods and services tax is currently going under tremendous pressure to go through some of the burning and solution seeking problems of the year-old implemented indirect tax regime. The finance ministry, as well as the GST council, needs to take care of the GST return filing issues and forms related consequences which have to be faced by the taxpayers alike.

Let us discuss and find those priority topics of GST on which the GST council and the finance ministry must work immediately:

Credit Reversal

The credit claimed on the purchases in which the payment has not been given to the suppliers within the 180 days must be reversed. And to keep note of this things may indulge an extra burden on the organization.

Problems in Extra Tax Paid and Refund Challan

If in case the taxpayer had paid excess taxes there is no option to correct the paid challan and problems coming in the claim of refund.

GSTR 2A Availability

Downloading of GSTR 2A is very difficult this has created difficulties to match the returns with the books of accounts with 2A returns.

GSTR 3B Issues

Under this return type, there is no modification or amendment facility available and in case the changes are to be made then there is a lengthy one month period time for the amendment making it interest liability issue.

The GST Council need to find permanent scalable solutions rather than interim ones like the GSTR-3B.

GSTR 1 Issues

It is worthy to note that the credit note/debit note or B2C sales made cannot be modified again in the GSTR 1 making it a serious task while filing.

Additional operational costs

GST implies additional operational costs for Small businesses. In a developing country like ours, not all SMEs will be able to afford the cost of computers and accountants required to implement GST (make bills and file tax returns).

Difficult to assign MRP

It is too difficult to assign MRP to handmade products like local shoes, Banarasi Sarees, etc. Most small artisans are illiterate and therefore unable to write MRP on their products and/or do any paperwork. Dealers are confused how to rates of such products.

Trust issues

Small businesses that have a small turnover and need not pay GST face trust issues. Buyers demand bills from even those sellers who are exempted from GST. Without proof of certificate of GST exemption, small shop owners find themselves stranded and immobile.

Issues for E-commerce Companies

E-commerce giants like Flipkart,

Amazon also have not escaped the aftereffects of GST rollout. TCS has to be collected by the e-commerce companies from the sellers at the time of payment.

The capital blockage will hamper day to day operational cost due to TCS provisions. The GST council has fixed the 1 percent TCS over the deduction made while payment to the sellers.

E-way Bill and Interstate Trade

The GST E-way bill is a major concern for most of the companies which are regularly into the business of transporting goods and sending material over the locations, the transport company is also facing to deal with the GST E-way bill provisions. As soon the bill expires the transport company or the trucker himself has to generate the GST E-way bill on his own. The GST Council must have taken all these concerns into strict consideration and ensured easy and simple e-way bill generation procedure.

Evaders Bonanza

The consistent policy rollbacks and amendments, powered by the glitchy GSTN Network, have enabled massive tax evasion. The benevolent composition scheme, as well as windows for filing quarterly returns, raise concerns about the intention and execution prowess of the government at the centre. The increased pool of registered taxpayers has had little but no impact on Revenue generation. Only 70% of taxpayers file returns regularly. A major headache is, however, the mismatch between initial and final returns filed by taxpayers. . About 84 % of the taxpayers were unable to correctly report revenue statements. The discrepancies and e-way bill failure demand that the GST Council now needs to take rigorous measures to tackle the menace of tax evasion through under-invoicing.

Adapting to IT Ecosystem is Hard

Indian economy is majorly driven by small business units i.e SMEs. It will be unfair to expect small-scale business firms to make the transition to an online IT platform and expect no errors in return filing. It is an tough task for the majority of our working population which has little hands-on experience with IT solutions. The cost of SRP deployment is a major concern for micro-small-medium scale enterprises.

Conclusion

In conclusion, the present GST appears to deliver little on promises. The GST rollout it seems was done with very little homework both at operational and technical ends. For the time being, the GST Council needs to pay heed to grow public as well as taxpayer grievances. It must take note of the fact that policy must be designed to reduce the compliance burden on the taxpayers. Compliance strategies must include compulsory education and assistance programs and risk-based audit programs. It must also run a communications campaign that enlightens the various effects as well as benefits of GST amidst businesses, consumers and important intermediaries.

No GST on sale of properties with completion certificate

Sandeep Pandey
C.A.

GST will be applicable on the sale of under-construction property or ready-to-move-in flats where completion certificate is not issued at the time of sale: Finance ministry. It is brought to the notice that rumours are getting inflated in market that after the implementation of GST Regime, Real Estate Market is slowed down due to additional burden of GST Tax liability to be discharged by the builders after collecting from the individuals or ultimate buyers. Because of this, ultimate customer bear the burden of that additional tax liability.

However among very few know that the above tax liability can be avoided. How?

Post the implementation of the Goods and Services Tax (GST) over a year ago, homebuyers booking their 'dream home' had to pay taxes under the new law. Even those who had purchased homes in soon to be completed under-construction projects were unsure about the GST calculation. As a result, buyers ended up paying GST on any property they purchased directly from builders. Benefits of the lowered tax slab weren't immediately passed on to homebuyers. Unfortunately the situation continues to be the same more than a later.

Initially, the GST Council had put all transactions pertaining to home purchase under the 12% bracket. Eventually, in order to boost affordable housing segment, the government reduced the tax to 8%, but for homes outside the affordable housing ambit the tax continues to 12%. During the initial days of GST implementation, the government had clarified that

homebuyers are not supposed to pay any GST on completed projects. However, issues related to GST benefits not being passed on to purchasers keep on arising, even now. Due to these issues several homebuyers moved the National Anti-profiteering Authority (NAA) to demand their rightful dues. Ministry of Finance reiterated that there is no GST applicable on the sale or purchase of constructed property that is ready to move-in. The Ministry's note states that no GST has to be paid for "...flats where sale takes place after issue of completion certificate by the competent authority. However, GST is applicable on sale of under construction property or ready to move-in flats where completion certificate has not been issued at the time of sale."

The government recently clarified the effective rate of tax under pre- and post-GST regime on sale of under construction property, or ready to move-in flats, where Completion Certificate has not been issued at the time of sale. The government clarified that the effective tax rate under GST has not increased, as the input tax credit has now been made available. The input tax was restricted under pre-GST regime, wherein the tax incidence was 15-18%, vis-a-vis the present GST at the rate of 12%. The perception that prices went up after GST came about because buyers did not have to directly pay the Central Excise and VAT though these were indirectly charged. Pre-GST, there was Central Excise on most of the construction materials at 12.5%, apart from 12.5-14.5% Value Added Tax and there was not input tax credit available. This meant that the effective pre-GST tax incidence of 15%-18%.

There was some confusion pertaining to Completion Certificate and Occupation Certificate. Law says that on receiving Completion Certificate, GST shouldn't be demanded from purchasers. In this case, the homebuyer should ask for a copy of Completion Certificate at the time of booking an apartment.

How to choose the best tax saving investment

You can turn your tax saving investments into a meaningful sum only by choosing the right option. Here are the pros and cons of the popular tax savings option The term 'ELSS' stands for Equity-Linked Savings Scheme. The terminology may be old-fashioned but the idea is very straightforward. Mutual fund companies in India operate a set of mutual funds that qualify to be ELSS funds, as defined by the government. When you invest in these funds, then the amount that you invest can be deducted from your taxable income. This lowers the amount of tax you need to pay.

There's no limit on the amount you can invest in ELSS funds but the tax exemption is capped at Rs 1.5 lakh in a financial year. Effectively, this means that if you are in the highest tax bracket, then you will pay Rs 46,000 less tax than you would otherwise have done. This Rs 1.5 lakh limit is not standalone, but the combined limit under Section 80C of the Income Tax Act. There are a number of other investments that are clubbed under Section 80C, including EPF (Employees Provident Fund) and PPF (Public Provident Fund).

However ELSS funds are uniquely advantageous compared to others. There are two reasons for this. One is that ELSS funds are unique in being the only viable tax-saving investment within this Rs 1.5 lakh limit that brings the benefits of equity returns. Sure, there are two other options that give equity-linked returns - ULIPs and the New Pension System. However, ULIPs have long lock-in - at least ten years- coupled with high costs and poor transparency. The NPS for its part is a great product but it's a retirement solution rather than a savings one. For one, it has only partial exposure to equity, and secondly, it has a very long lock-in period that effectively extends till retirement age. ELSS funds actually have the best combination of much lower cost than ULIPs, 100 per cent equity as well as a reasonable lock-in period of just three years.

Beyond this, ELSS funds have another hidden benefit. For many beginner investors, it makes an excellent gateway product in which they get the first taste of equity investing and of mutual funds. You end up investing in these funds because the tax-savings attracts you and it has the shortest lock-in. However, the three year lock-in ensures (most of the time) that investors get the good returns even if their timing and choice of funds is less than optimal. This experience converts a certain proportion of these investors to investing in equity mutual funds over and above their tax-saving needs. Once you have a taste of long-term equity returns, then you end up trying other types of equity investments as well.

However, to choose ELSS funds, one should plan ahead and not wake up to tax-saving investments late in the year. For a variety of reasons, savers tend to make hasty and poor decisions while choosing their tax-saving investments. For one, many of those who wait till the end of the year are those who don't make any discretionary investments other than the tax-savings. They're inexperienced in this whole activity and make a foray into investing only once a year, generally to fall prey to the first salesman who comes along. As long as an investment saves tax, they feel that the immediate job is done.

However, this approach is a waste of money. A good tax-saving investment must be an investment first and a tax-saver later. For most people the investment that should make most sense is in an equity ELSS fund. This is because salary-earners generally have already had some of the permitted amount go into fixed income through PF deductions and to balance that, equity is best.

curtsey: https://www.valueresearchonline.com

इनकम टैक्स स्लैब 2018-19 की खास बातें

स्टैंडर्ड डिडक्शन

नौकरी–पेशा लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के माध्यम से थोड़ी राहत जरूर दी गई है। इसके तहत सेलरी पाने वाले लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। यानी उनकी आमदनी से 40,000 रुपये घटाने के बाद इनकम टैक्स की गणना होगी।

उदाहरण के लिए, अगर आपकी सेलरी 4 लाख रुपए है तो 40 हजार रुपए इसमें से पहले ही घटा दीजिए। बची हुई 3 लाख 60 हजार रुपए की आमदनी पर ही आपके इनकम टैक्स की गणना की जाएगी।

इसी तरह अगर आपकी सेलरी 3 लाख रुपए सालाना है तो उसमें से 40 हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा। बची हुई 2 लाख 60 हजार रुपए की आमदनी पर आपके इनकम टैक्स की गणना होगी।

इस 40 हजार रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन से जुड़ी एक और अच्छी बात यह है कि इस पैसे के खर्च या निवेश का हिसाब करदाता को नहीं देना होगा। उसका नियोक्ता या कंपनी सेलरी में से टीडीएस का आकलन करते वक्त ही सीधे 40,000 रुपए घटाकर टैक्स की गणना करेंगे।

1 प्रतिशत सेस

हालांकि स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए लगने वाले 3% सेस को 1% बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। यानी कि जो भी आपकी टैक्स देनदारी बनेगी, उसका 4 प्रतिशत अब आपको एजुकेशन और हेल्थ सेस के रूप में अलग से देना होगा।

60 साल के कम उम्र के सामान्य करदाताओं के लिए टैक्स स्लैब

- 2.5 लाख रुपए से कम की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
- 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच की आमदनी पर 5% Tax
- 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच की आमदनी पर 20% Tax
- 10 लाख रुपए से अधिक के बीच की आमदनी पर 30% Tax

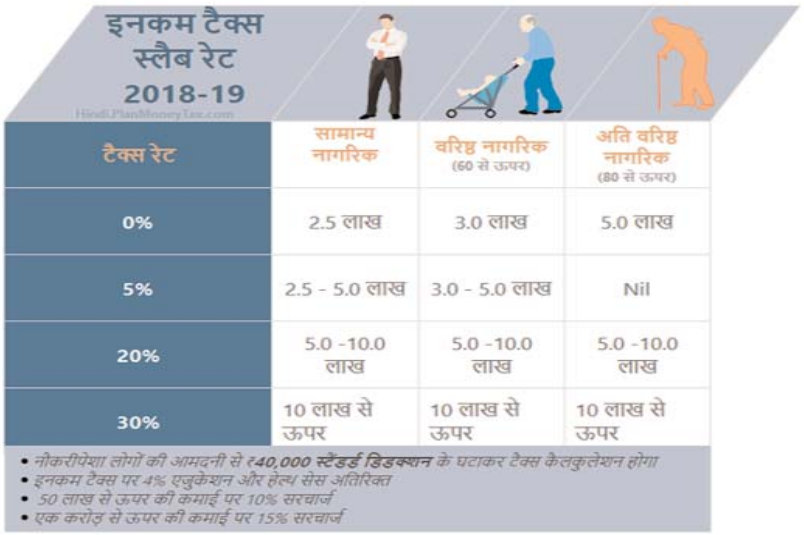

सरचार्ज

- सालाना कुल आमदनी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए होने पर कुल टैक्स देनदारी का 10% Surcharge भी अलग से देना पड़ता है।
- सालाना कुल आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक होने पर कुल टैक्स देनदारी का 15 % Surcharge भी अलग से देना पड़ता है।

एजुकेशनल सेस Educational Cess

टेक्स पेयर्स को कुल टैक्स देनदारी और सरचार्ज के टोटल पर 4% Educational Cess भी देना होगा। पड़ता है। इसे सभी आयवर्ग (Income Class) के लोगों को चुकाना पड़ता है।

टैक्स रिबेट (Rebate)

टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की गणना होने के बाद आपको 2500 रुपए का टैक्स रिबेट अलग से मिलता है। लेकिन, यह सिर्फ उन लोगों को ही मिलता है, जो भारतीय नागरिक (Residential individuals) हों और जिनकी सालाना आमदनी 3.50 लाख रुपए तक हो।

Note: आपकी Income पर पहले Tax Slab के अनुसार Tax की गणना होती है। फिर उस टैक्स में से Rebate (अधिकतम 2500 रुपए) की रकम को निकाल देने के बाद जो शेष Tax बचता है, उसी पर 4 प्रतिशत Educational Cess अलग से लगता है।

इनकम टैक्स कैलकुलेटर से पता करें देय टैक्स

सीनियर सिटिजन (60 से 80 वर्ष) के सामान्य करदाताओं के लिए टैक्स स्लैब

- 3 लाख रुपए से कम की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं

❖ 3 लाख से 5 लाख रुपए के बीच की आमदनी पर 5% Tax

❖ 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच की आमदनी पर 20% Tax

❖ 10 लाख रुपए से अधिक के बीच की आमदनी पर 30% Tax

नोट- सीनियर सिटिजन के मामले में भी Surcharge, Education Cess और Rebate के नियम सामान्य Tax payers के हिसाब से ज्यों के त्यों लागू होंगे।

सुपर सीनियर सिटिजन (80 वर्ष से अधिक) में आने वालों के लिए इनकम टैक्स स्लैब

❖ 5 लाख रुपए से कम की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं

❖ 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच की आमदनी पर 20% Tax

❖ 10 लाख रुपए से अधिक 30% Tax

नोट: Super Senior Citizen के मामले में भी Surcharge और Educational Cess के नियम सामान्य टैक्सपेयर्स के हिसाब से ज्यों के त्यों लागू होंगे।

Tax Rebate का मामला Super Senior Citizen के मामले में नहीं बनता, क्योंकि उन पर 5 लाख रुपए तक Income पर पहले ही कोई टैक्स नहीं लगता। और Rebate का फायदा सिर्फ 3.50 लाख रुपए तक Income वालों को ही मिलता है।

फर्म या संगठनों के लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट (Income tax Slab Rate for Non-Individuals)

सहकारी समितियों के लिए टैक्स स्लैब For Co-Operative Societies

Co-Operative Societies को किसी तरह की टैक्स छूट नहीं दी गई। इनको अपनी पूरी Income पर टैक्स चुकाना होगा।

❖ एक करोड़ से ज्यादा Income पर 12 फीसदी Surcharge भी देना होगा।

❖ खुद पर बने Income Tax व सरचार्ज पर 3% Education Cess भी चुकाना होगा।

❖ को-ऑपरेटिव सोसायटियों के लिए Tax Slab भी थोड़ा अलग होता है, जो नीचे दिया जा रहा है।

❖ 10 हजार रुपए तक टैक्स योग्य Income पर 10% Tax

❖ 10 से 20 हजार रुपए टैक्स योग्य Income पर 20% Tax

❖ 20 हजार रुपए से अधिक टैक्स योग्य Income पर 30% Tax

बिजनेस फर्मों के लिए टैक्स स्लैब रेट (Income Ta& Slab Rate For the Business Firm)

सामान्य नागरिकों और परिवारों (HUF) की इनकम पर लागू टैक्स स्लैब की तरह Business Firms को उनकी आय पर टैक्स छूट का कोई स्लैब नहीं है। किसी भी बिजनेस फर्म की पूरी आय Income Tax के दायरे में आती है।

❖ Financial Year 2017-18 के लिए 250 करोड़ से कम सालाना Turn Over वाली कंपनियों पर Income Tax की दर 25% रखी गई है।

❖ 250 करोड़ से अधिक Turn Over वाली कंपनियों पर Income Tax की दर 30% रखी गई है।

❖ कंपनियों को अपने Income Tax पर 15% Surcharge और 4% Educational Cess भी देना होगा।

लोकल अथॉरिटी (Local Authority)

❖ बिजनेस फर्म की तरह ही Local Authorities को भी 30% की दर से

Income Tax देना होता है।

बिजनेस फर्म की ही तरह देना होगा।

15% Surcharge और Educational Cess भी देना होगा।

घरेलू यानी देशी कंपनियों के लिए टैक्स स्लैब रेट (Ta& Slab Rate For Domestic Companies)

250 करोड रुपए से कम सालाना Turn Over वाली देशी कंपनियों पर Income का 25% Tax लागू होगा।

250 करोड रुपए से अधिक सालाना Turn Over वाली देशी कंपनियों को Income का 30% Tax देना होगा।

ऐसी कंपनियों को Income Tax Surcharge में राहत दी गई है। एक करोड रुपए से अधिक Income वाली कंपनियों को 7% Surcharge देना होगा।

10 करोड़ रुपए से अधिक इनकम वाली कंपनियों को इनकम टैक्स का 12% Surcharge देना होगा।

इनकम पर बनने वाले टैक्स और सरचार्ज योग पर 4% Education Cess भी देना होगा।

विदेशी कंपनियों पर टैक्स स्लैब रेट (Tax Slab Rate For Foreign Companies)

विदेशी कंपनी से मतलब उन कंपनियों से है जिनका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह से भारत से बाहर किसी दूसरे देश में होता है।

विदेशी कंपनी को अपनी इनकम का 40% टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है। 4% Education Cess भी देना होगा।

टैक्स योग्य इनकम एक करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच होने पर 2% सरचार्ज देना होगा। 10 करोड़ रुपए से अधिक टैक्स योग्य इनकम होने पर सरचार्ज 5% देना होगा।

इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की गणना कैसे करें

टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स की गणना को आसानी से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि मोहन नाम का टैक्सपेयर, जिसकी सालाना टैक्सेबल इनकम 5.5 लाख रुपए है। मोहन की उम्र 45 वर्ष है, इसलिए उस पर नॉरमल टैक्स स्लैब लागू होगा। आइए जानते हैं कि उस पर कितना टैक्स बनेगा।

2.5 लाख रुपए से कम कोई टैक्स नहीं कुल 5.5 लाख रुपयों में से शुरू के 2.5 लाख के हिस्से पर कोई टैक्स नहीं बनेगा।

2.5 लाख से ऊपर की आमदनी बची है- 3 लाख रुपए।

2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% बची हुई 3 लाख रुपए की आमदनी में 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में रकम होगी 2.5 लाख रुपए। इस 2.5 लाख रुपए पर 5 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगेगा।

इसके बाद पचास हजार रुपए बचेंगे जो पांच लाख रुपए से ऊपर वाले स्लैब में आएंगे। टैक्स की रकम 12,500

5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% 5 लाख रुपए से ऊपर की जो 50 हजार रुपए की आमदनी है, उस पर 20 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स बनेगा 10,000/-

10 लाख रुपए से अधिक 30%
कुल टैक्स 22,500

अब चूंकि मोहन की आमदनी 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है, इसलिए उसे टैक्स रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा और टैक्स में कोई कमी नहीं होगी। यानी कि टैक्स कैलकुलेशन के बाद निकली पूरी 22,500 की रकम टैक्स मानी जाएगी। सरचार्ज का मामला भी मोहन पर नहीं लागू होता, क्योंकि उसकी आमदनी 50 लाख रुपए से कम है। इसलिए टैक्स गणना के बाद निकली रकम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

Educational Cess चूंकि सब पर लगता है तो मोहन को भी अपनी टैक्स की रकम 22,500 पर 4 प्रतिशत के हिसाब से सेस चुकाना पड़ेगा। 22500 का 4 प्रतिशत होता है 900 रुपए। तो अब अंतिम रूप से मोहन की टैक्स देनदारी बनी 22500+900 = 23400 रुपए। तो मोहन को कुल 23400 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को चुकता करने होंगे।

टैक्स बचाने में माता-पिता 3 तरह से मदद कर सकते हैं

माता-पिता टैक्स बचाने में कैसे मदद कर सकते हैं, इसे समझने से पहले इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि टैक्स पेयर्स द्वारा अपने माता-पिता के अकाउंट में या माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाने वाला अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है।

चूंकि 31 मार्च का डेडलाइन नजदीक आता जा रहा है, इसलिए अब आप भी अपनी टैक्स देनदारी को कम करने के तरीके तलाश रहे होंगे। आपको जाहिर तौर पर कुछ टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके माता-पिता भी आपकी टैक्स देनदारी को कम करने में मदद कर सकते हैं। माता-पिता टैक्स बचाने में कैसे मदद कर सकते हैं, इसे समझने से पहले इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि टैक्स पेयर्स द्वारा अपने माता-पिता के अकाउंट में या माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाने वाला अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है।

इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 56(2)(VII) के अनुसार, रिश्तेदारों से मिलने वाला पैसा या प्रॉपर्टी, टैक्सेबल नहीं होता है। यहां रिश्तेदार का मतलब खास तौर पर व्यक्ति की पत्नी/पति, भाई-बहन, पत्नी/पति के भाई-बहन, माता-पिता के भाई-बहन, पत्नी/पति के माता-पिता के भाई-बहन, व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति का कोई पूर्वज या वंशज या ऐसे रिश्तेदारों की पत्नी/पति है। लेकिन, अपने और अपने माता-पिता के बीच होने वाले हर तरह के फंड ट्रांसफर का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। आपको इनकम टैक्स प्रविजन्स को ध्यान में रखना चाहिए और उसी हिसाब से अपने माता-पिता की इन्वेस्टमेंट कपैसिटी और टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। इसी तरह, आप अपनी टैक्स सेविंग को बढ़ाने के लिए अपने बालिग बच्चों को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।

माता/पिता के नाम से टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश

एक नॉन-सीनियर सिटीजन द्वारा कमाए गए इंट्रेस्ट इनकम पर लागू टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लग सकता है जबकि सीनियर सिटीजन्स को एक वित्त वर्ष में 50 हजार रुपये तक के इंट्रेस्ट इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी और आरडी का इंट्रेस्ट रेट, रेग्युलर इन्वेस्टरों को मिलने वाले रेट्स की तुलना में आम तौर पर 5त्न अधिक होता है। यदि आप अपने दोनों सीनियर सिटीजन माता-पिता के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक के इंट्रेस्ट पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा, आप अपने माता-पिता के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के बारे में भी सोच सकते हैं जिसका निवेश वहां किया जा सकता है, जिस पर इनकम टैक्स की धारा 80ष्ट के तहत टैक्स से छूट मिले। आपको एक टैक्स फ्री रिटर्न कमाने में मदद कर सके। इस तरह आप अपने माता और पिता के नाम से 1.5-1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट क`

माध्यम से एक टैक्स-फ्री रिटर्न भी कमा सकते हैं।

माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस

यदि आप अपने नॉन-सीनियर सिटीजन माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं तो आपको 25 हजार रुपये तक के अमाउंट के लिए टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। यदि आप 65 वर्ष से ज्यादा की उम्र के माता-पिता के लिए प्रीमियम देते हैं तो आपको 50 हजार रुपये तक के अमाउंट के लिए टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। इसी तरह यदि आप अपने एक सीनियर सिटीजन माता/पिता के हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए 50 हजार रुपये का प्रीमियम देते हैं और यदि आप 30त्न टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप 15 रुपये टैक्स बचा सकते हैं।

माता-पिता को रेंट देकर एचआरए क्लेम करें

यदि आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और अपने माता/पिता के घर में रहते हैं और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) आपकी सैलरी कंपोनेंट का एक हिस्सा है तो आप इस बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप जिस घर में रहते हैं, वह आपके माता/पिता के नाम से रजिस्टर्ड हैं तो आप उन्हें रेंट देकर एचआरए के लिए क्लेम कर सकते हैं। यदि आपकी सैलरी में एचआरए कंपोनेंट नहीं है, तब भी आप सेक्शन 80GG के तहत डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, आप यह क्लेम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपको कोई हाउसिंग बेनिफिट नहीं मिलता है जिसके लिए आप क्लेम कर सकें।

सेक्शन 80GG के तहत आपके एचआरए बेनिफिट के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक पर विचार किया जाता है:

1. ऐनुअल सैलरी के 10% से ऊपर और अधिक दिया गया रेंट
2. अजस्टेड टोटल ऐनुअल इनकम (इस मकसद के लिए आईटी डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार इनकम) का 25 प्रतिशत
3. 5 हजार रुपये प्रति माह

टैक्स बचाने के कई तरीके हैं। इनकम टैक्स ऐक्ट के 80ष्ट, 80ष्ठ, 80श्च और अन्य रेग्युलर सेक्शंस के साथ-साथ कुछ कम इस्तेमाल होने वाले सेक्शंस पर भी ध्यान देना जरूरी है जो आपके टैक्स के बोझ को समझदारी के साथ कम करने का मौका दे सकते हैं और वह भी आपके फाइनैंस पर कोई दबाव डाले बिना। अपने माता-पिता के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना एक ऐसा ही स्मार्ट तरीका है।

पैतृक संपत्ति को कानूनी तरीके से अपने नाम कराना जरूरी

विरासत में मिली संपत्ति को हम कानूनी रूप से अपने नाम तब तक दर्ज नहीं कराते, जब तक किसी विवाद की आशंका न हो। विशेषज्ञों के मुताबिक, अचल संपत्ति के मालिक की मृत्यु होने के बाद की कानूनी उत्तराधिकारियों को इसे कानूनी रूप से अपने नाम कराना जरूरी है। यहां जानें इससे जुड़ी 7 खास बातें

1. संपत्ति हस्तांतरण की यह प्रक्रिया

संपत्ति हस्तांतरण की यह प्रक्रिया सिर्फ पंजीकरण मात्र से नहीं हो जाती। इसके लिए आपको दाखिल खारिज भी कराना पड़ता है। तभी आपका मालिकाना हक पूरा होता है। यह संपत्ति, कानूनी उत्तराधिकारियों की संख्या और अन्य वजहों पर निर्भर करता है कि इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी।

2. संपत्ति अपने नाम ऐसे कराएं

पैतृक संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए सबसे पहले आपको संपत्ति पर अधिकार और उत्तराधिकार का सबूत देना होगा। अगर संपत्ति के मालिक ने कोई वसीयत करा रखी है तो यह प्रक्रिया बेहद आसान हो जाती है। लेकिन वसीयत कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ बनी होती है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। मसलन, कोई शख्स मालिकाना हक वाली संपत्ति को तभी अपनी इच्छानुसार किसी को भी दे सकता है, जब उसने खुद इसे हासिल किया हो, न कि उसे भी यह विरासत में मिली हो। अगर उसे भी संपत्ति विरासत में मिली है तो उत्तराधिकार कानून लागू होता है।

3. वसीयत न होने पर समस्याएं ज्यादा

अगर कोई वसीयत नहीं है तो सबसे बेहतर होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी आपस में सहमति से इसका बंटवारा कर लें। लॉ फर्म सिंह एंड एसोसिएट्स के संस्थापक साझेदार मनोज के. सिंह का कहना है कि परिवार के बीच हुए इस बंटवारे को फैमिली सेटलमेंट की तरह सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत कराना जरूरी है। इसके लिए संपत्ति के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज

होना जरूरी है।

4. वसीयत न होने पर हलफनामा दें

वसीयत न होने पर एक हलफनामा तैयार कराना होगा, जिसमें सभी कानूनी वारिस या उत्तराधिकारियों का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) होना जरूरी है। अगर आपने अचल संपत्ति के सेटलमेंट के लिए किसी उत्तराधिकारी को कोई नकदी दी है तो उसका उल्लेख भी ट्रांसफर दस्तावेज में जरूर करें।

5. दाखिल-खारिज भी कराना चाहिए

संपत्ति के पंजीकरण के बाद उसका दाखिल-खारिज भी कराना चाहिए। यह राजस्व विभाग के आंकड़ों में किसी अचल संपत्ति का एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफर को दर्ज कराने के लिए आवश्यक है।

प्रापर्टी टैक्स के भुगतान के लिए भी यह जरूरी है। साथ ही उस संपत्ति के साथ पानी, बिजली जैसे कनेक्शन भी दूसरे के नाम जुड़े होते हैं, उनके लिए भी दाखिल-खारिज आपके नाम होनी चाहिए। इसके लिए अपने नगर या पंचायत निकाय से संपर्क करें। हर राज्य में दाखिल-खारिज का शुल्क भी अलग-अलग होता है।

6. प्रापर्टी पर होम लोन है तो चुकाना होगा

अगर जो प्रापर्टी आपके नाम होने जा रही है, उस पर कोई होम लोन है तो आपको बाकी का पैसा चुकाना होगा। बकाये का भुगतान होते ही बैंक लोन क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ आपको संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज दे देता है।

हालांकि अगर मृतक ने होम लोन इंश्योरेंस ले रखा है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती।

7. प्रापर्टी लीज पर है तो शर्तों का पालन जरूरी

अगर प्रापर्टी किसी को लीज पर दी गई है तो आपको उस एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करना होगा। अगर कानूनी उत्तराधिकारी लीज को जारी रखना चाहते हैं तो लीज लेने वाले के साथ एक नया करार करना पड़ता है।

ITR filing: मृतक व्यक्ति का अंतिम ITR जरूर दाखिल करें कानूनी वारिस

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति और कर्ज के अलावा कई अन्य जिम्मेदारियां भी कानूनी उत्तराधिकारियों पर आती हैं। इसमें मृतक का आखिरी आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना और उसके पैन-आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों को बंद कराना शामिल है। मृतक का आईटीआर दाखिल करने से आयकर विभाग को भी जानकारी मिल जाती है कि संपत्ति का किसे और कैसे हस्तांतरण हुआ है और इससे तमाम कानूनी उलझनों से बचा जा सकता है।

1. आईटीआर ऐसे दाखिल करें

क्लियरटैक्स की सीईओ और संस्थापक अर्चित गुप्ता आयकर कानून 1961 की धारा 159 के तहत प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी को टैक्स चुकाना होगा, जैसे कि अगर वह शख्स जिंदा होता तो अपनी जिम्मेदारी पूरा करता। अगर आप कानूनी उत्तराधिकारी हैं तो सबसे पहले आपको आयकर विभाग से संपर्क कर खुद को मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में पंजीकृत कराना होगा। ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम के तहत इसका आवेदन किया जा सकता है। इसको मंजूरी मिलते ही आपको मृतक की ओर से आईटीआर भरने का हक मिल जाता है।

2. कर की देनदारी कानूनी उत्तराधिकारियों पर

अर्चित ने कहा कि अगर मृतक का आईटीआर नहीं भरा जाता है तो जो भी कर देनदारी बनती है, वह कानूनी उत्तराधिकारियों पर आती है। आयकर विभाग को यह देनदारी वसूल करने का हक है।

3. पैन कार्ड भी सरेंडर करें

मृतक के पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए आपको क्षेत्रीय आकलन अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। इसमें पैन कार्ड सरेंडर करने की वजह (धारक की मृत्यु के संबंध में इसे अंकित करें), उसकी जन्मतिथि के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र की कॉपी भी लगानी होगी।

4. आधार का बायोमेट्रिक ब्लॉक कराना आवश्यक

किसी की मृत्यु पर आधार कार्ड को सरेंडर करने की प्रक्रिया तो यूआईडीएआई ने नहीं बताई है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसका बायोमेट्रिक ब्लॉक कराना आवश्यक है। ब्लॉक होने के बाद इसका किसी दस्तावेज के प्रमाणीकरण या भुगतान में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ऑनलाइन भी एक सिक्योरिटी कोड को मृतक के मोबाइल नंबर के साथ यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यूआईडीएआई की साइट पर लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक का विकल्प resident.uidai.gov.in/biomet-

ric-lock होता है।

5. आईटीआर- बैंक खाता बंद करने के बाद पैन कार्ड सरेंडर करें

विशेषज्ञों का कहना है कि रिटर्न फाइलिंग, बैंक खाता बंद करने, सभी वित्तीय निवेश की निकासी की कार्यवाही पूरी करने के बाद ही पैन कार्ड और आधार बायोमेट्रिक को ब्लॉक करने का कदम उठाना चाहिए। लॉ फर्म सिंह एंड एसोसिएट्स के संस्थापक साझेदार मनोज के. सिंह ने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी ये दस्तावेज उसकी पहचान साबित करने के लिए अहम होते हैं। लिहाजा संपत्ति और देनदारी की कार्यवाही पूरी करने के बाद ऐसा करना चाहिए।

6. इसलिए जरूरी हैं ये कदम

- ❖ मृतक की उस वित्तीय वर्ष में कर देनदारी चुकाना आवश्यक
- ❖ मृतक की संपत्तियों पर हक और आगे के दायित्व के लिए जरूरी
- ❖ पैन कार्ड या आधार का किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से बचाना

7. आयकर विभाग में खुद को कानूनी उत्तराधिकारी ऐसे साबित करें

स्टेप- 1. आयकर विभाग की साइट पर ई-फाइलिंग अकाउंट में क्लिक करें

स्टेप- 2. इसमें माई अकाउंट टैब पर क्लि करें

स्टेप- 3. इसमें एड या रजिस्टर ऐस रिप्रंजेटेटिव के ऑप्शन पर जाएं

स्टेप- 4. लिस्ट में लीगल हेयरशिप (कानूनी वारिस) को चुनें

स्टेप- 5. मृतक का पैन नंबर, बैंक खाता और मृत्यु की तारीख अंकित करें

स्टेप- 6. मृत्यु प्रमाणपत्र की पीडीएफ, अपनी पैन डिटेल व कानूनी वारिस के प्रमाणपत्र दें

स्टेप- 7. सारी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट कर दें और मंजूरी का इंतजार

HRA पर कैसे हासिल करें टैक्स छूट

हाउस रेंट अलाउंस पर (HRA) टैक्स छूट का दावा करने के लिए आपको कुछ डॉक्युमेंट्स सबूत के तौर पर देने होते हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने से आपका दावा खारिज हो सकता है।

अप्रैल 2017 में रेंट रिसीट पर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के आदेश ने काफी ध्यान खींचा, क्योंकि इसने एक वेतनभोगी द्वारा मां को दिए किराये पर HRA छूट के दावे को ठुकरा दिया था। ट्राइब्यूनल ने दावे को अस्वीकार करते हुए कहा कि वास्तव में किराया दिया गया है इसे साबित करने के लिए रिसीट के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है और रिसीट को बिना रेंट दिए मां से हासिल किया जा सकता है।

आइए हम आपको बताते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) टैक्स छूट के लिए किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपक किन बातों का ध्यान रखें।

1. क्लियरटैक्स.कॉम के फाउंडर और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा, 'आपके पास एक वैलिड रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए। रेंट अग्रीमेंट में मासिक किराये, अग्रीमेंट की समयसीमा और आपके द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्चों का जिक्र हो। अग्रीमेंट पर आपका और मकान मालिक का साइन हो, भले ही मकान मालिक आपके माता-पिता हों।'
2. यदि आप फ्लैट किसी के साथ साझा कर रहे हैं, तो ऊपर बताए गए ब्योरे के साथ अग्रीमेंट में यह जानकारी भी होनी चाहिए। यह भी लिखा हो कि कितने लोग फ्लैट को साझा कर रहे हैं और किराये के साथ अन्य यूटिलिटी बिल्स चुकाने का अनुपात किस तरह बंटा है।
3. कैश की बजाय किराया बैंकिंग माध्यम से देने की कोशिश करें। बैंकिंग चैनल्स से किराये देने पर आपके पास ट्रांजैक्शन का सबूत होता है।
4. हर महीने मकान मालिक को किसी भी माध्यम से चुकाए जाने वाले किराये का रिसीट मांगिए। EY इंडिया, पीपल अडवाइजरी सर्विसेज, डायरेक्टर पिंकी खन्ना ने कहा, '3,000 रुपये से अधिक मासिक किराये पर टैक्स छूट दावे के लिए रेंट रिसीट देना अनिवार्य है।'
5. यदि सालभर में रेंट 1 लाख रुपये से अधिक है तो रेंट रिसीट के अलावा मकान मालिक का PAN देना भी अनिवार्य है।
6. यदि PAN उपलब्ध ना हो तो आपका मकान मालिक यह घोषित करने का इच्छुक हो। घोषणापत्र के साथ आपको मकान मालिक से 'Form 60' भी भरवाना होगा।
7. यदि आप मकान मालिक का PAN नहीं देते हैं तो आप टीडीएस कटौती के समय टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऐक्ट किसी कर्मचारी को रिटर्न फाइलिंग करते समय HRA क्लेम करने से नहीं रोकता है, लेकिन तब आपके नियोक्ता के द्वारा Form 26 में घोषित सैलरी इनकम और रिर्टन में घोषित रकम समान नहीं होगी। डिपार्टमेंट इस पर जवाब मांग सकता है।
8. ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है, जहां कोई रेंट अग्रीमेंट पर दर्ज राशि से अधिक किराया चुकाता हो और अंतर कैश के जरिए देता है। यदि ऐसा होता है तो टैक्स छूट की गणना केवल रेंट रिसीट के आधार पर ही होगी। रेंट रिसीट पर दर्ज किराये से अधिक यदि आप दे रहे हैं तो उस राशि पर टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते हैं।
9. गुप्ता आगे बताते हैं कि HRA क्लेम करने के लिए यह जरूरी है कि आप घोषित घर में ही रहते हों। यदि आपके माता-पिता ही मकान मालिक हैं तो वे रेंट इनकम को अपने रिटर्न में दिखाएं।
10. यदि आप हर महीने 50 हजार रुपये से अधिक किराया दे रहे हैं तो 5 प्रतिशत टीडीएस काटना ना भूलें। यदि आप टैक्स काटना भूल गए तो प्रति महीने 1 फीसदी और काटने के बाद जमा नहीं कराने पर 1.5 फीसदी हर महीने ब्याज देना होगा। देरी पर प्रति दिन 200 रुपये का जुर्माना भी लगेगा।

यदि आप ऊपर बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो किराये के खर्च पर 100 फीसदी टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

निवेश, दान या जमा पर मिलती है टैक्स छूट, जानें किन पर, कैसे, कितना बचेगा टैक्स

आप अपने निवेश, दान और बचत के आधार पर टैक्स में जिन छूट का दावा कर सकते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होने से टैक्स बचाने में काफी मदद मिल सकती है। यहां कुछ कॉमन डिडक्शन के बारे में बताया गया है जो गुजरे साल का भरपूर लाभ उठाने में आपकी मदद कर सकते हैं।

- ❖ आप अपने होम लोन के मूलधन और ब्याज दोनों के रीपेमेंट पर छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं
- ❖ हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो आप इस इंट्रेस्ट के लिए टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं
- ❖ हेल्थ इंश्योरेंस के ऐनुअल प्रीमियम कॉन्ट्रिब्यूशन के आधार पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं

कानून का पालन करने वाले, समय पर उचित टैक्स चुकाने वाले एक नागरिक के नाते आप साल भर जो अनगिनत वित्तीय फैसले लेते हैं उनका आपके टैक्स पर सीधा असर पड़ता है। वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही शुरू हो गई है और उचित टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए सही निवेश की तलाश करते समय आपको कुछ कॉमन टैक्स डिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए जिनका इस्तेमाल आप हर वित्त वर्ष में कर सकते हैं।

1. आपके होम लोन के आधार पर डिडक्शन

होम लोन एक लंबा और काफी बड़ा कमिटमेंट है और अन्य लोन की तुलना में यह आपको ज्यादा टैक्स बेनिफिट देता है। आप अपने होम लोन के मूलधन (प्रिंसिपल अमाउंट) और ब्याज (इंट्रेस्ट) दोनों के रीपेमेंट पर छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने किसी के साथ होम लोन लिया है तो आप दोनों को हर फाइनैंशल इयर में बराबर टैक्सेशन बेनिफिट मिल सकता है।

इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80सी के तहत हर साल आपको अपने प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स की छूट मिलती है। हालांकि, आप किसी अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर या उस प्रॉपर्टी पर यह क्लेम नहीं कर सकते हैं जिसे आप खरीदने के 5 साल के भीतर बेच देते हैं। इसके अलावा, आप अपना दूसरा घर खरीदने पर हर साल 5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने नए घर पर कब्जा मिलने के दिन से 5 साल तक उसे नहीं बेचते हैं।

इंट्रेस्ट के मामले में आप इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक की छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

लेकिन, इस क्लेम करने के लिए आपको दो शर्तों का पालन करना पड़ता है। पहली बात, अपने कब्जे वाली प्रॉपर्टी के मामले में प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन 5 साल में पूरा हो जाना चाहिए। अगरइसे पूरा होने में इससे ज्यादा समय लग जाए आप सिर्फ 30 हजार रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। यदि आप अपने दूसरे घर पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो दूसरे घर के लिए इसका समय घटकर 3 साल हो जाता है। यानी,

इसके अलावा, यदि आप किराए की प्रॉपर्टी के लिए होम लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी का कंडीशन चाहे जो भी हो इस मामले में क्लेम करने के लिए छूट की कोई

होम लोन टैक्स डिडक्शन के डीटेल

डिडक्शन	सेक्शन	मैक्सिमम डिडक्शन	शर्तें
प्रिंसिपल	80सी	रु. 1.5 लाख	प्रॉपर्टी को खरीदने के 5 साल के भीतर बेचा नहीं गया हो
इंट्रेस्ट	24बी	रु. 2 लाख	घर खरीदने या बनाने के लिए लोन लिया गया हो और उसे लोन लेने के 5 साल के भीतर बना लिया गया हो
इंट्रेस्ट	80ईई	रु. 50 हजार	लोन अमाउंट 35 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और उसे वित्तीय वर्ष 16-17 में सैंक्शन किया गया होना चाहिए; प्रॉपर्टी का वैल्यू रु. 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए
स्टांप ड्यूटी	80सी	रु.1.5 लाख	यह बेनिफिट सिर्फ उसी साल पर मिल सकता है जिस साल में स्टांप ड्यूटी से जुड़े खर्च का पेमेंट किया गया है

सीमा नहीं है। इसके अलावा, यदि आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो आप सेक्शन 80श्वश्व के तहत 50 हजार रुपये तक अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं। आप इसे सिर्फ तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपके खरीदे गए मकान की कीमत 50 लाख रुपये से कम हो जिसके लिए लोन का अमाउंट 35 लाख रुपये से कम होना चाहिए।

2. एक एजुकेशन लोन के आधार पर डिडक्शन

यदि आपने खुद, पत्नी, अपने बच्चों या किसी अन्य बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लिया है जिसके आप एक लीगल गार्जियन हैं, तो आप इस लोन पर लगने वाले इंट्रेस्ट के लिए टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

आप इस एजुकेशन लोन के इंट्रेस्ट पेमेंट पर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80श्व के तहत इस तरह की छूट का दावा कर सकते हैं। आपके टोटल क्लेम के मामले में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन, आप एजुकेशन लोन के लिए प्रिंसिपल रीपेमेंट की किसी भी छूट का क्लेम नहीं कर सकते।

इसके अलावा, आप टोटल रीपेमेंट पीरियड के लिए इस छूट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप सिर्फ 8 साल के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि आपका लोन रीपेमेंट पीरियड 8 साल से अधिक है, तो 8 साल से अधिक समय तक ईएमआई का रीपेमेंट करते रहने के बावजूद आप इस छूट का लाभ उठाने के लिए इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 8 साल के बाद से दिखा नहीं पाएंगे।

3. हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के आधार पर डिडक्शन

चाहे यह एक नो-क्लेम इयर हो या वह साल हो जब आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर क्लेम कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80ष्ठ के तहत अपने इयरली प्रीमियम कॉन्ट्रिब्यूशन के आधार पर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

आप अपने लिए और अपने नजदीकी पारिवारिक रिश्तेदार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए दिए गए प्रीमियम अमाउंट पर 25 हजार रुपये तक की छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है। इसके अलावा, यदि आप अपने माता-पिता के लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो आप अन्य क्लेम के अलावा 50 हजार रुपये तक के डिडक्शन के लिए अलग से क्लेम कर सकते हैं। यदि उनकी उम्र 60 साल से कम है तो आप एक साल में दिए गए इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट पर 25 हजार रुपये तक की छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

यदि आप और आपके माता-पिता दोनों सीनियर सिटिजंस हैं तो डिडक्शन क्लेम अमाउंट 50-50 हजार रुपये होगा और इस तरह आप टोटल 1 लाख रुपये तक के डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए किए गए प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप के लिए किए गए पेमेंट के आधार पर इस सेक्शन के तहत 5 हजार रुपये तक की अतिरिक्त छूट का क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा, आप सेक्शन 80डी के एक सब-सेक्शन 80डीडीबी के तहत अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए क्रिटिकल ईलनेस केयर पर किए गए खर्च के लिए भी क्लेम कर सकते हैं।

यहां आप 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 40 हजार रुपये तक, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 60 हजार रुपये तक और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 80 हजार रुपये तक की छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

4. बचत एवं निवेश के आधार पर डिडक्शन

वैकल्पिक रूप से लाइफ इंश्योरेंस , पीपीएफ, एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना , 5 इयर टर्म डिपॉजिट, यूलिप और एनएससी जैसे तरह-तरह के ऑप्शन में 1.5 लाख रुपये तक के अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स पर आप इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80ष्ट के तहत छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

5. हाउस रेंट अलाउंस के आधार पर डिडक्शन

यदि आपकी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस शामिल नहीं है तब भी आप सेक्शन 80त्तत्त के तहत डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह क्लेम आप सिर्फ तभी कर सकते हैं यदि आप किसी हाउसिंग बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसका सीधा-सा मतलब यही है कि टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम करने के लायक बनने के लिए आपको अपनी पत्नी या अपने बच्चे के मालिकाना वाले मकान में नहीं रह रहा होना चाहिए। सेक्शन 80जीजी के तहत एचआरए बेनिफिट के लिए निम्नलिखित में से किसी एक बात पर गौर किया जाता है...

क. ऐनुअल सैलरी के 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया रेंट

ख. अजस्टेड टोटल ऐनुअल इनकम (इस मकसद के लिए आई-टी डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इनकम) का 25 प्रतिशत

ग. हर महीने रु. 5000

6. डोनेशन के आधार पर डिडक्शन

आप सेक्शन 80(जी) के तहत क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशंस को डोनेट किए गए अमाउंट के 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत अमाउंट तक डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। कुछ खास फंड्स, चैरिटेबल इंस्टिट्यूशंस और धार्मिक संगठनों को दिए जाने वाले डोनेशन पर सेक्शन 80(जी) के तहत डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। डिडक्शन हेतु क्लेम करने के लिए इस तरह के पेमेंट का प्रूफ संभालकर रखना चाहिए। यदि आपने कैश में डोनेशन दिया है तो आप सिर्फ 2,000 रुपये तक के डिडक्शन बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

इन कॉमन डिडक्शन्स को ध्यान में रखें और अपने निवेश तथा देनदारियों का आकलन अभी से शुरू कर दें, क्योंकि अपने फाइनैंस में अजस्टमेंट करने के लिए आपके पास अभी भी कुछ महीने हैं।

टैक्स में छूट के लिए इनवेस्टमेंट में न दिखाएं जल्दबाजी

वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों के आते ही सभी वेतनभोगी टैक्स बचाने के लिए नए निवेश की जुगत में लग जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि नए निवेश को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने की आपाधापी में कोई भी योजना चुनते हैं इससे आपकी गाढ़ी कमाई फंस सकती है। ऐसे में सबसे पहले आकलन करें कि आप कितनी बचत आप कुल आय में कर सकते हैं। आप कितनी अवधि तक निवेश चाहते हैं और लक्ष्य क्या है। अंत में यह तय करें कि सुरक्षित निवेश के तहत परंपरागत स्कीम या बाजार में जोखिम से जुड़ी योजना में निवेश चाहते हैं।

पहले किए निवेश का आकलन कर लें

सबसे पहले यह आकलन कर लें कि आपने अब तक जो निवेश किया है, उसमें कौन-कौन सा 80सी के दायरे में है। इससे आपको यह पता लग जाएगा कि कितना और निवेश धारा 80सी के तहत किया जा सकता है। कई बार जल्दबाजी में आप नया निवेश करते हैं, लेकिन धारा80सी के तहत कटौती की सीमा आप पार कर चुके होते हैं। ऐसे में पहले ही आकलन करना जरूरी है। ध्यान रखें कि ईपीएफ अंशदान की भी इसी में गणना होती है।

कितनी कर देनदारी है, यह भी जानें

80सी, 80 डी या अन्य योजनाओं में निवेश की पूरी रकम को कुल आय में घटाकर आप जान सकते हैं कि कितना आय करयोग्य है। अगर इसके बाद भी आपकी आय टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से ज्यादा आती है तो टैक्स सेविंग की जरूरत है। अगर 80सी में और टैक्स बचाने की गुंजाइश है तो ही उसमें निवेश करें।

इन योजनाओं में कर सकते हैं निवेश

धारा 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। लघु अवधि की योजनाओं में एनएससी, एफडी या वरिष्ठ नागरिक बचत जैसी योजनाएं हैं। वहीं पीपीएफ और एनपीएस में निवेश लंबे समय का होता है। अगर बाजार में पैसा लगाने के इच्छुक हैं तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उस पर भी कर छूट का दावा कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश कर धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त बचत की जा सकती है।

हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कटौती में

अगर आपने खुद या परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है तो धारा 80डी के तहत 25 हजार रुपये की छूट पाई जा सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 30 हजार रुपये हैं। धारा 80जी के तहत कोई भी डोनेशन या धारा 80ई के तहत शैक्षणिक लोन पर ब्याज भुगतान पर छूट पाई जा सकती है।

योजना की अवधि भी अहम कसौटी

योजना तय करने में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप कितनी अवधि के लिए निवेश करते हैं और इसका लक्ष्य क्या है। जैसे ईएलएसएस में तीन साल की लॉक इन, एफडी में पांच साल और पीपीएफ में 15 साल का न्यूनतम निवेश होता है। ऐसे में सिर्फ दूसरों को देखते हुए किसी योजना में पैसा न डालें। अगर लंबी अवधि का निवेश चाहते हैं तो ही पीपीएफ, एनपीएस में निवेश करें, अन्यथा ईएलएसएस बेहतर विकल्प है।

रिटर्न पर टैक्स का ध्यान भी रखें

यह भी ध्यान दें कि जिस योजना में आप निवेश कर रहे हैं, उस पर मिलने वाले ब्याज की रकम तो टैक्स के दायरे में नहीं आती है। जैसे कि एनएससी और एफडी में रिटर्न पर टैक्स है। सिर्फ पीपीएफ, ईपीएफ और ईएलएसएस और बीमा योजनाओं में निवेश, ब्याज और परिपक्वता रकम पूरी तरह करमुक्त होती है।

अंतरिम बजट-2019

5 लाख तक की सालाना आय वालों को नहीं देना होगा टैक्स

मोदी सरकार ने अपने आखिरीब बजट में छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है। अब 2.5 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। गोयल ने कहा कि इस टैक्स छूट का लाभ 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को मिलेगा।

- ❖ 5 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वाले करदाताओं को अब टैक्स में पूरी छूट मिलगी.
- ❖ सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये का निवेश करने पर कुल 6.5 लाख रु. की इनकम टैक्स फ्री हो गई.
- ❖ अब स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट भी 40 हजार रु. की जगह बढ़कर 50 हजार रु. हो गई.
- ❖ बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा रकम से 10 हजार की जगह 40 हजार रु. तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया.

चुनावी साल को देखते हुए जिसकी उम्मीद थी, वही हुआ। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में निम्न मध्य वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि 5 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वाले करदाताओं को अब टैक्स में पूरी छूट मिलगी और उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है वे इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे करीब 3 करोड़ करदाताओं को करों में 18,500 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 80 ष्ट से लेकर 80 के तहत आने वाले सभी डिडक्शन के बाद भी अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक रहती है तो आपको टैक्स देना होगा अन्यथा कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि जिन लोगों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपये तक है, उन्हें भी किसी प्रकार के इनकम टैक्स के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी बशर्ते वे 80ष्ट के तहत सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर लें। साथ ही पहले की ही तरह दो लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज, एजुकेशन लोन पर ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान, मेडिकल इंश्योरेंस, वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा पर होने वाले खर्च आदि जैसी अतिरिक्त कटौतियों के साथ और अधिक आय वाले व्यक्तियों को भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।

टैक्स रेट	सामान्य नागरिक	वरिष्ठ नागरिक (60-80 साल)	अति वरिष्ठ नागरिक (80 से अधिक)
0%	ढाई लाख रुपये तक	3 लाख रुपये तक	5 लाख रुपये तक
5%	2,50,001 से 5,00,000	3,00,001 से 5,00,000	शून्य
20%	5,00,001 से 10 लाख	5,00,001 से 10 लाख	5,00,001 से 10 लाख
30%	10 लाख से अधिक	10 लाख से अधिक	10 लाख से अधिक

इसके साथ ही, पिछले बजट में लाए गए स्टैंटर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई। पीयूष गोयल ने कहा कि इससे 3करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनधारकों को 4 ,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट डिपॉजिट पर 10 हजार की जगह अब 40 हजार रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया है। उन्होंने कहा कि छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए मकान के किराये पर कर कटौती के लिए टीडीएस सीमा को 1 ,80 ,000 रूपये से बढ़ाकर 2 ,40 ,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव है।

अपने कब्जे वाले दूसरे मकान के अनुमानित किराये पर लगने वाले इनकम टैक्स में भी छूट का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में यदि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक अपना घर है तो उसे अनुमानित किराये पर इनकम टैक्स का भुगतान करना होता है। गोयल ने कहा कि सरकार ने अपनी नौकरियों , बच्चों की शिक्षाऔर माता -पिता की देखभाल के लिए दो स्थानों पर परिवार रखने के कारण मिडिल क्लास परिवारों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए इस राहत की घोषणा की।

वित्त मंत्री ने 2 करोड़ रुपये तक के कैपिटल गेन्स वाले टैक्सपेयर्स को भी एक आवासीय घर से दूसरे आवासीय घर में निवेश के लिए आयकर अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत पूंजीगत लाभों में वृद्धि का प्रस्ताव किया है। हालांकि इस लाभ को जीवन में एक बार ही मिल पाएगा। सस्ते आवास उपलब्ध उपलब्ध कराने के लिए इनकम टैक्स की धारा 80 -आईबीए के अंतर्गत लाभों को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा हैयानी यह 31 मार्च 2020 तक स्वीकृत आवासीय परियोजना पर लागू होगा।

रीयल एस्टेट क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए वित्त मंत्री ने बिना बिके हुए घरों/फ्लैटों के अनुमानित किराये पर टैक्स से छूट की अवधि को प्रॉजेक्ट पूरा होने के वर्ष के अंतिम समय के एक वर्ष से बढ़ाकर दो साल तक करने का प्रस्ताव किया है।

अगर आपकी सैलरी है 5 से 10 लाख रुपये, तो ऐसे बचा सकेंगे इनकम टैक्स

वित्त मंत्री ने बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर में बड़ी छूट देने की घोषणा की है। लेकिन इसका फायदा ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है उसके अनुसार 5 लाख रुपये की नेट इनकम पर टैक्स छूट लागू होगी। यह ग्रॉस इनकम पर लागू नहीं होगी। लांकि इस हिसाब से 6.50 लाख रुपये की सालाना आय वालों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

यह होता है नेट व ग्रॉस इनकम में फर्क

ग्रॉस इनकम वो होती है, जिसमें किसी भी तरह का निवेश नहीं होता है। यह आपकी सकल आय होती है। वहीं नेट इनकम को कुल आय के नाम से भी जाना जाता है। इस आय की गणना आपके द्वारा किए गए सभी तरह निवेश के बाद जो राशि बचती है, उसे कुल आय कहते हैं। अब यहां पर सभी तरह निवेश जैसे कि पीपीएफ, एनएससी, टर्म बीमा, स्वास्थ्य बीमा, होम लोन, बच्चों की फीस, एचआरए को निकालने के बाद कुल आय निकाली जाती है। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये होगी तभी टैक्स में छूट मिलेगी।

5 लाख तक की नेट टैक्सेबल इनकम पर लगेगा टैक्स

इस बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपये की जो छूट देने की बात कही है वो टैक्सेबल इनकम पर लगेगा। इस हिसाब से 2.5 लाख से 5 लाख रुपये पर 2.5 फीसदी टैक्स देना होगा।

5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इतना देना होगा टैक्स

आप इस टेबल की मदद से समझ जाएंगे कि कितना टैक्स आपको अगले वित्त वर्ष से देना होगा और अभी आप कितना टैक्स दे रहे हैं।

8 लाख रुपये तक की आय ऐसे बचाएं टैक्स

5 लाख रुपये आपकी आय + 50 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन + 1.5 लाख 80सी के तहत+ 50 हजार एनपीएस में निवेश पर+ 25 हजार मेडिकल खर्च पर क्लेम+ 25 हजार राजीव गांधी इक्विटी स्कीम। इस तरह आपको कुल 8 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

ऐसे बचाएं टैक्स

छूट के विकल्प	आम नागरिक	वरिष्ठ नागरिक
सेक्शन 80सी	1,50,000	1,50,000
एनपीसी	50,000	50,000
80टीटीए	10,000	50,000
80डी	25,000	50,000
टैक्स फ्री रकम	2,35,000	3,00,000
होम लोन ब्याज	2,00,000	2,00,000
कुल टैक्स फ्री रकम	4,35,000	5,00,000
कुल आय बिना टैक्स	9,35,000	10,00,000

इनकम टैक्स से जुड़ी 5 बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए

मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है. अंतरिम बजट में सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी घोषणा की है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि अगर सरकार बनी तो अगले वित?त वर्ष में 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक?स नहीं देना होगा. बजट में इनकम टैक्स को लेकर क्या-क्या घोषणाएं हुईं, जानें आगे...

(1) 5 लाख रुपये तक इनकम टैक्स फ्री

वित्त वर्ष 2020 के लिए 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी. सरकार के इस फैसले से पांच लाख से ऊपर आय वालों को 13 हजार रुपये का फायदा होगा.

(2) 2.40 लाख रुपये तक किराये से इनकम पर टैक्स नहीं

2.40 लाख रुपये तक किराया से इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले यह सीमा 1.80 लाख रुपये थी.

(3) 40 हजार तक की ब्याज से हुई इनकम पर टीडीएस नहीं

वित्त वर्ष 2020 के लिए 40 हजार रुपये तक की ब्याज इनकम पर ञ्जष्टस् नहीं देना होगा. पहले ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा 10,000 रुपए थी. यह छूट पोस्ट ऑफिस और बैंक में पैसा जमा करने पर पर आपको मिलने वाले कुल ब्याज के लिए है.

(4) स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार

वित्त वर्ष 2020 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई.

(5) 80 सी के तहत नहीं बढ़ी टैक्स छूट की सीमा

केंद्र सरकार ने 80 सी के तहत टैक्स छूट की सीमा को पुराने स्तर यानी 1.5 लाख रुपये पर ही बनाए रखा है. 80 सी के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक निवेश करके टैक्स छूट को क्लेम किया जा सकता है

अंतरिम बजट 2019 : हर बजट में होता है इन शब्दों का जिक्र

वर्ष 2019 का अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है, जिसकी छपाई का काम हलवा रस्म की अदायगी के साथ शुरू हो चुका है

हर वर्ष फरवरी महीने की पहली तारीख को पेश होने वाले बजट के दौरान वित्त मंत्री बजट से जुड़े काफी सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि आमतौर पर हर किसी को समझ नहीं आते हैं। अगर आप भी बजट की शब्दावली से अपरिचित हैं या आपको उनके बारे में कम जानकारी है तो हमारी बजट सीरीज की यह खबर आपके काम की है। जानिए बजट से जुड़े कुछ अहम शब्दों के बारे में।

सीमा शुल्क

कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) किसी भी देश से होने वाले निर्यात (एक्सपोर्ट) और आयात (इंपोर्ट) पर लगाया जाना वाला केंद्रीय टैक्स है। सरकार की राजस्व आय में इस कर की बड़ी हिस्सेदारी है। कई बार विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाता है, या उसमें इजाफा किया जाता है।

चालू खाता घाटा

भुगतान संतुलन का मतलब किसी देश का अन्य देश के साथ एक साल के दौरान हुआ लेन-देन है। इसके दो भाग होते हैं, पहला-चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। जब कोई देश अपने निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं का) से अधिक आयात (वस्तुओं और सेवाओं) करता है, तो ऐसी स्थिति को चालू खाता घाटा कहा जाता है। चालू खाता मुख्य तौर पर देश के विदेशी लेन-देन को दर्शाने वाला खाता है।

मंदी

किसी भी अर्थव्यवस्था में मंदी का मतलब वैसी स्थिति से है, जब वस्तु और सेवाओं की मांग उसकी पूर्ति से कम हो जाती है। अर्थव्यवस्था में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है और सामानों की बिक्री नहीं होने से उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ जाती है।

उपकर

उपकर जिसे अंग्रेजी में 'cess' कहते हैं। यह किसी मुख्य टैक्स के ऊपर लगने वाला एक अतिरिक्त कर होता है। इसे करदाताओं की आमदनी पर न लगाकर केवल उस रकम पर लगाया जाता है, जो उसकी टैक्स देनदारी बन रही होती है। आसान शब्दों में टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स को सेस कहते हैं।

बजट में शामिल होते हैं 11 दस्तावेज

संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार एक वित्त वर्ष की अनुमानित

प्राप्तियों और व्यय का विवरण पेश करती है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है

हलवा रस्म की अदायगी के साथ ही बजट की छपाई शुरू हो चुकी है। बजट आंकड़ों और योजनाओं का एक दस्तावेज भर नहीं होता है बल्कि इसमें काफी कुछ शामिल होता है। बजट में सरकार की बीते वर्ष की योजनाओं के विश्लेषण के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं का एक रोडमैप भी होता है। दैनिक जागरण की बिजनेस टीम अपनी बजट सीरीज की इस खबर में आपको यह जानकारी दे रही है कि एक बजट में आखिर क्या कुछ शामिल होता है। गौरतलब है कि एक फरवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश किया जाना है।

बजट में कुल 11 दस्तावेज शामिल होते हैं:

- वार्षिक वित्तीय विवरण
- डिमांड ऑन ग्रांट
- एप्रोप्रिएशन बिल
- फाइनेंस बिल
- वित्त विधेयक में प्रावधान की व्याख्या का ज्ञापन
- मौजूदा वित्त वर्ष के लिए प्रासंगिक एवं व्यापक आर्थिक ढ़ांचा
- वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय रणनीति का ब्यौरा
- मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति का वक्तव्य
- एक्सपेंडीचर बजट वाल्यूम-1
- एक्सपेंडीचर बजट वाल्यूम-2
- रिसीप्ट्स बजट

वार्षिक वित्तीय विवरण

संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार एक वित्त वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण पेश करती है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है।

डिमांड ऑन ग्रांट

इसमें संचित निधि से निकाले जाने वाले खर्चों (वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल) का अनुमान दर्ज होता है। यह

एक तरह का फॉर्म होता है, जिसे अनुच्छेद 113 के तहत जमा किया जाता है। लोकसभा में इस पर मतदान जरूरी है।

विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)

लोकसभा से मंजूर की गईं व्यय मांगों और संचित निधि में से किए जाने वाले खर्चों को एकत्रित करके एक विधेयक बनाया जाता है, जिसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। इसे भी लोकसभा में पेश किया जाता है।

फाइनेंस बिल

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए नए करों का विवरण होता है, जिसमे मौजूदा करों में कुछ संशोधन भी शामिल होता है।

वित्त विधेयक में प्रावधान की व्याख्या का ज्ञापन

यह वित्त विधेयक में निहित कराधान प्रस्तावों को समझाने का एक व्याख्यात्म दस्तावेज है। साथ ही इसमें प्रावधानों और उसके प्रभावों का भी उल्लेख होता है।

एक्सपेंडीचर बजट वॉल्यूम-1

एक्सपेंडीचर बजट वाल्यूम-1 के अंतर्गत राजस्व और मूल अदायगी शामिल होता है, जो कि योजनागत और गैर-योजनागत अनुमानों के बारे में बताता है।

एक्सपेंडीचर बजट वॉल्यूम-2

व्यय अनुदान मांगों में प्रस्तावित अंतर्निहित उद्देश्य को समझाने वाला यह एक दस्तावेज होता है, जिसमें प्रमुख कार्यक्रमों पर व्यय के विभिन्न मदों का एक संक्षिप्त विवरण, बदलाव के कारणों के साथ मांगों में एक साथ शामिल पिछले वर्ष के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमानों के बीच का अंतर और चालू वित्त वर्ष के अनुमान का उल्लेख किया जाता है।

रिसीप्ट्स बजट

वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्तियों का अनुमान एक बार फिर से रिसीप्ट बजट में समझाया और विश्लेषित किया जाता है। सालभर के भीतर की राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का ट्रेंड और बाहरी सहायता का पूरा ब्यौरा इसमे शामिल होता है।

टैक्स बचत के सर्वोत्तम रास्ते

टैक्स बचाने का सीजन आ गया है। अब एंप्लॉयर इन्वेस्टमेंट प्रूफ की मांग करने लगे हैं। ऐसे में जिन्होंने अब तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उनके लिए अब भी वक्त है। हम टैक्स सेविंग के लिहाज से निवेश के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। आप इसकी मदद से अपने लिए सही निवेश योजना का चयन कर सकते हैं।

ELSS फंड्स

ELSS फंड्स टैक्स बचाने के सभी रास्तों में सर्वोत्तम है। हालांकि, मौजूदा वित्त वर्ष में इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80ष्ट के तहत टैक्स बचाने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए ELSS में निवेश का प्रूफ देने का वक्त निकल चुका है। लेकिन, एक्पर्ट्स बताते हैं कि अगर कोई ELSS में निवेश से टैक्स बचाने की सोच रहा है तो वह 31 मार्च से पहले 2-3 किस्तों में निवेश कर सकता है।

यह जानना महत्वपूर्ण है कि सभी श्वस्स्स फंड्स के जोखिम एक समान नहीं होते। कुछ फंड्स छोटे एवं मध्यम आकार के शेयरों में ज्यादा रकम डालते हैं तो कुछ स्थिर बड़े शेयरों में। आप इनमें उस फंड का चुनाव करें जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हो।

ELSS फंड्स का तीन वर्ष का लॉक-इन पीरियड होता है। यह टैक्स बचाने के अन्य विकल्पों में सबसे कम है। ELSS युवा करदाताओं के लिए टैक्स सेविंग का सर्वोत्तम साधन है। उन्हें हर महीने ELSS में निवेश करना चाहिए।

नैशनल पेंशन स्कीम

निवेश और कर नियमों में बदलाव से एनपीएस ज्यादा आकर्षक बन गया है। अब रिटायरमेंट के वक्त निकाली जा सकने वाली एनपीएस की अधिकतम 60% रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। दूसरा, निवेशक अब एनपीएस का ऐक्टिव चॉइस ऑप्शन अपनाकर निवेश की 75% राशि इक्विटीज में लगा सकते हैं। साथ ही, निवेशक 70 वर्ष की उम्र तक एनपीएस में निवेश बनाए रख सकते हैं और जमा रकम से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा ही निकाल सकते हैं।

एनपीएस में निवेश पर इनकम टैक्स ऐक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत टैक्स बचत की जा सकती है। एनपीएस में सालना 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत तो अतिरिक्त 50 हजार रुपये पर सेक्शन 80CCD(1b) के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

इसके अलावा, अगर आपका एंप्लॉयर भी आपकी बेसिक सैलरी का 10% तक आपकी नैशनल पेंशन स्कीम में जमा करवाता है तो वह रकम भी टैक्स फ्री हो जाएगी। साथ ही, रिटायरमेंट के वक्त जमा धन के 60% तक हिस्से की एकमुश्त निकासी पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है।

पब्लिक प्रविडेंट फंड

बॉन्ड यील्ड्स में लगातार वृद्धि बने रहने के कारण अक्टूबर 2018 में पीपीएफ पर ब्याज दर बढ़ा दी गई। हालांकि, 2018-19 की तीसरी तिमाही में बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई, लेकिन पीपीएफ की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया। निवेश सलाहकारों का कहना है कि पीपीएफ पर ब्याज पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए यह निवेश का अच्छा साधन है।

टैक्सस्पैनर के को-फाउंडर सुधीर कौशिक कहते हैं, 'अगर आप प्रविडेंट फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको फिक्स्ड इनकम ऑप्शन की तरफ नहीं देखना चाहिए।' पीपीएफ में निवेश बेहद सुरक्षित होता है। यह लचीलेपन और निवेश में आसानी के लिहाज से भी बढ़िया है। आप किसी पोस्ट ऑफिस या खास बैंक ब्रांच में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। जो बैंक ऑनलाइन अकाउंट ऐक्सेस की सुविधा देते हैं, उनमें पीपीएफ अकाउंट खुलवाना बेहतर है।

सीनियर सिटिजंस सेविंगस स्कीम

60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) सर्वोत्तम टैक्स-सेविंग ऑप्शन है जो पिछले बजट में ब्याज से 50 हजार रुपये तक की आय को टैक्स फ्री के ऐलान से और आकर्षक हो गया है। यानी, 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों के लिए अब 3.5 लाख रुपये की और 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों की

5.5 लाख रुपये की आमदनी टैक्स फ्री हो गई है। एसीएसएस पर 8.7% ब्याज मिलता है जो अन्य किसी भी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर से ज्यादा है। एससीएसएस में निवेश की अवधि पांच वर्ष होती है जिसे और तीन वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन, इसमें कुल 15 लाख रुपये ही जमा करा सकते हैं। यह स्कीम ज्यादातर 60 वर्ष से ऊपर के निवेशकों के लिए ही है। जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वॉलंटरी रिटायरमेंट) ले ली है और दूसरी नौकरी नहीं करने वाले हैं तो वे 58 वर्ष की उम्र से ही एनसीएसएस में निवेश कर सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना

जिन टैक्सपेयर्स की 10 साल से कम उम्र की बेटी है, उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स बचाने का अच्छा रास्ता है। मार्च महीने तक इस पर 8.5त्न की दर से ब्याज मिलेगा। अप्रैल में ब्याज दर बदल सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना पर पीपीएफ के मुकाबले ज्यादा दर से ब्याज मिलता है। पीपीएफ की तरह ही सुकन्या समृद्धि योजना से प्राप्त ब्याज टैक्स फ्री है। आप इस योजना में सालाना 1.5 लाख रुपये से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में या खास बैंकों में न्यूनतम 1000 रुपये जमा कर खुलवा सकते हैं। कोई माता-पिता अधिकतम दो बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन दोनों अकाउंट का कुल सालाना निवेश 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस योजना की अच्छी बात यह है कि खाते बच्चियों के नाम पर खुलवाए जा सकते हैं और 18 वर्ष की उम्र होने पर मच्योरिटी के मिले पैसे का इस्तेमाल उनकी शिक्षा और विवाह पर खर्च कर सकते हैं।

यूलिप

टैक्स सेविंग के लिहाज से यूलिप कैपिटल गेंस पर टैक्स लगाने के ऐलान से पहले भी म्यूचुअल फंड के मुकाबले बेहतर विकल्प था। यूलिप से न सिर्फ इक्विटी फंड्स में निवेश किया जाता है, बल्कि निवेशकों को डेट और लिक्विड फंड में निवेश का विकल्प भी मिलता है। इक्विटी से डेट या फिर डेट से इक्विटी में अदला-बदली से टैक्स पर कोई असर नहीं पड़ता। डेट फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स से हुए शॉर्ट टर्म गेंस पर मामूली दर से टैक्स लगाया जाता है, जबकि डेट फंड्स से लॉन्ग टर्म गेंस पर इंडेक्सेशन के साथ 20त्न टैक्स लगता है। लेकिन, यूलिप से इनकम पूरी तरह फ्री है। इंश्योरेंस कंपनियां अब कम लागत वाले नए यूलिप प्लांस ला रही हैं जो लागत के मामले में म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लांस को टक्कर देते हैं। यूलिप किसी बच्चे के दीर्घावधि लक्ष्यों (लॉन्ग टर्म गोल्स) के लिए शानदार साधन है। खास बात यह है कि माता-पिता का देहांत होने पर बच्चे के यूलिप प्लान के लिए प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है। इस तरह बिना प्रीमियम के प्लान चालू रहता है।

पेंशन प्लांस

नैशनल पेंशन स्कीम ने लोकप्रियता के मामले में इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा ऑफर किए जा रहे पेंशन प्लांस पर बढ़त हासिल कर ली है। टैक्सपेयर्स को एनपीएस में सालाना 50 हजार रुपये के निवेश पर सेक्शन 80CCD(1b) के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट मिल जाती है। इससे ज्यादा टैक्स बचाना हो तो एंप्लॉयर के जरिए एनपीएस में निवेश करवाया जा सकता है। ध्यान रहे कि इंश्योरेंस कंपनियों के पेंशन प्लांस में निवेश पर टैक्स छूट नहीं मिलती है। साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों के पेंशन प्लांस बहुत सस्ते भी नहीं होते। उनके प्लांस के स्ट्रक्चर्स साफ-सुथरे नहीं होते और कई तरह चार्ज की स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती है।

नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स

जो लोग निवेश की जल्दबाजी में हैं, उनके लिए 8त्न का रिटर्न देने वाला नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स बढ़िया विकल्प है। एनएससी में निवेश से प्राप्त ब्याज की रकम पर अगले वित्त वर्ष में सेक्शन 80ष्ट के तहत टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने जनवरी 2019 में 50 हजार रुपये का एनएससी खरीदे तो एक साल बाद आपको ब्याज से 4 हजार रुपये प्राप्त होंगे। आप वित्त वर्ष 2019-20 में इस 4 हजार रुपये पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 5 प्रतिशत वाले टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो एनएससी से प्राप्त ब्याज टैक्स नहीं लगने के कारण यह स्कीम आपके लिए पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाती है।

बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट

जिन्होंने पूरे साल टैक्स बचत के किसी विकल्प का सहारा नहीं लिया और आखिरी वक्त में कोई उपाय तलाश रहे हैं तो वे बैंक एफडी में निवेश कर सकते हैं। एफडी की ब्याज दर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर से कम होती है, लेकिन एफडी पर ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा मिलती है। जो बुजुर्ग नागरिक (सीनियर सिटिजंस) पोस्ट ऑफिस की लाइनों में खड़ा नहीं होना चाहते, उनके लिए एफडी घर बैठे निवेश का अच्छा विकल्प है। लेकिन, यह सुविधा बहुत महंगी पड़ती है। बैंक डिपॉजिट से प्राप्त ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल है। ऐसे में अगर आपकी आमदनी ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में आती है तो आपके लिए एफडी से बहुत कम रिटर्न मिल पाता है। ध्यान रहे कि आप अपने नेट बैंकिंग अकाउंट से किसी दूसरे के नाम पर एफडी नहीं कर सकते।

बीमा (इंश्योरेंस)

पारंपरिक बीमा वास्तविक जरूरतों को पूरी नहीं करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी आमदनी से कम-से-कम 6 से 8 गुना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। इसलिए, अगर आप 30 वर्ष की उम्र के हैं तो और प्रति माह 50 से 60 हजार रुपये कमा रहे हैं तो आपको 40 से 50 लाख रुपये के आसपास का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। 40 से 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर देने वाले एंडोमेंट प्लान पर आपको सालाना करीब-करीब 4 से 5 लाख रुपये खर्च करने होंगे। यह आपकी कुल सालाना आमदनी का 60 से 70 फीसदी होता है। हालांकि, अगर आप 1 करोड़ रुपये का टर्म प्लान लेते हैं तो आपको सालाना महज 7 से 8 हजार रुपये ही देने होंगे जो आपकी कुल सालान आय का महज 1त्न है। आप जब भी टैक्स बचाने के लिए निवेश करने की सोचें तो इस गणित को ध्यान में रखें।

Investment Avenues
Subscription Form

I would likes to Investment Avenues

☐ 1 Year - 12 Issues Price Rs. 300

☐ 2 Year - 24 Issues Price Rs. 400

☐ 3 Year - 36 Issues Price Rs. 500

Order No. .....

First Name.....Last Name.....

.....Company.....Designation.....

Address.....

.....

Place.....State.....Pin code.....

Tel:.....Mobile..... Email:.....

INVESTMENT AVENUES

(A Division of Vision Advisory Services Pvt. Ltd.)

Plot No. 36, E-Second Floor, Infront of Raj Homes, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal,
Ph. +91-755- 4277186; Mob.+91 7389912003

Sr. No.

RECEIPT

Date:.....

Received with thanks From Mr./Ms.....

the sum of Rs. .....

Cash/Cheque/Draft No. | | | | | | | | | | |

Dated.....

Rs.	

Cheque Subject to realisation

Account: .....

Received for: .....

Amount Received ....., Balance .....

For : Investment Avenues

Received by :

Name :

Authorised Signatory

मध्यप्रदेश शासन

गणतंत्र दिवस

की

समस्त प्रदेशवासियों को

हार्दिक शुभकामनाएँ

आइये, इस गणतंत्र दिवस
के अवसर पर
हम भारत के समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और
राजनैतिक न्याय
दिलाने का प्रण लें और
देश के लोकतंत्र को और
सशक्त बनाने में अपना योगदान दें।

कमल नाथ
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2019

Services we offer :

VISION ADVISORY®
VISION ADVISORY SERVICES (P) LTD.
One Stop Investment Services
YOUR CONCERN IS OUR CONCERN℠

1. Income Tax Return Filing
2. GST Return Filing
3. Financial Statements Preparations
4. Tax Audit

New Product in our kitty - Just send the details on whatsapp and we will provide the hassle free services from invoicing to accounting to gst return filing & Income tax return filing at minimum cost through team of Chartered Accountants

Vision Advisory Services Private Limited
Contact : 7389912018
Plot No. 36 E, Second Floor, M.P. Nagar, Zone-II, Bhopal-462 **E-mail:** contact@visionadvisory.in